बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों ने बाल विवाह रोकथाम की शपथ ली

दौसा। नवरात्र के उपलक्ष्य में बाल विवाह रोकथाम के लिए आयोजित किए जा रहे जनजागरुकता अभियान के तहत सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की प्रगति के लिए चर्चा सत्र एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने भाग लिया।

■ 21 वर्ष से कम आयु के लड़का एवं 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह की कुप्रथा को हतोत्साहित करने के लिए जनजागरुकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है

जनजागरुकता अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की प्रगति के लिए चर्चा सत्र एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया।

जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विश्वदेव पांडेय ने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों एवं विकास में बाल विवाह जैसी कुरीति बड़ी बाधा है। इसकी रोकथाम एवं नारी शक्ति के संबलन के लिए विभाग की ओर से बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 21 वर्ष से कम आयु के लड़का एवं 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह की कुप्रथा को हतोत्साहित करने के लिए जनजागरुकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में दौसा जिले के सभी पुलिस थानों में कार्यरत बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों ने बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रयास करने एवं जनजागरुकता फैलाने की शपथ ली।गौरतलब है कि जेजे एक्ट की धारा 107 के तहत प्रत्येक पुलिस थाने में बच्चों से संबंधित अपराधों को प्रभावी रूप से देखने के लिए सहायक उप निरीक्षक पुलिस से अन्यून स्तर के पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त किया हुआ है।इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुशरण राव, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विश्वदेव पांडेय, मानव तस्करी विरोधी यूनिट से एएसआई दीपक शर्मा, चाइल्ड हेल्प लाईन 1098 प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर नरेश मीना, परामर्शदाता लोकेश मीना सहित अन्य प्रतिभागी उपस्थित रहे।

फ्लैगशिप योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश

दौसा। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने सोमवार को यहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में केन्द्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की।

■ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में केन्द्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की

उन्होंने अधिकारियों को फ्लैगशिप योजनाओं की प्राथमिकता से प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए क्रियान्वयन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने जिला रसद अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान में एनएफएसए पोर्टल चालू है जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना में सभी पात्र लोगों के नाम जोड़ने की त्वरित कार्यवाही करें। उन्होंने लाडो योजना की समीक्षा करते हुए महिला अधिकारिता विभाग को चिकित्सा विभाग से समन्वय कर योजना का अधिकतम लाभ दिलवाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने लखपति दीदी, सोलर दीदी, ड्रोन दीदी एवं अन्य योजनाओं में जिले की प्रगति के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन को और बेहतर करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने जल जीवन मिशन में लंबित कनेक्शन शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिवाली से पहले सड़कों का पेचवर्क करवाने के निर्देश दिए। साथ ही, शहर में स्वच्छता के लिए नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को लक्ष्य के अनुरूप सोलर कनेक्शन करवाने तथा निर्धारित समय सीमा तक राजकीय कार्यालयों पर सोलर प्लान्ट लगाने के निर्देश प्रदान किए। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैण्ड कनेक्टीविटी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग से जारी होने वाली लंबित स्कॉलरशिप की समीक्षा करते हुए पात्र लोगों को समय पर लाभ देने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने जिले की बजट घोषणाओं की प्रगति, राइजिंग राजस्थान के एमओयू क्रियान्वयन, भूमि रूपान्तरण प्रकरण, लाईटस प्रकरण तथा आदर्श ग्राम एवं संबल विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा रामस्वरूप चौहान, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

फर्जी सामूहिक विवाह धोखा

कोटपूतली। पीएम मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितम्बर से 02 अक्टुबर तक आयोजित किये जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा जयपुर देहात उत्तर के तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रबुद्धजन सम्मेलन रविवार शाम कस्बे के जयपुर-दिल्ली राजमार्ग की सर्विस लेन स्थित दीवान होटल सभागार में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन बतौर मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने मां भारती, पं. दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर समक्ष द्वीप प्रज्जवलन कर किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये तिवाड़ी ने कहा कि मोदी सरकार का काल खण्ड देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक युग के रूप में जाना जायेगा। क्योंकि पीएम मोदी ने भारतवर्ष को विश्व गुरू ही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ विश्व बंधु बनाने के कदम पर आगे बढ़ाया हैं।

आज दुनिया भर में भारत एक सकारात्मक भुमिका निभा रहा हैं। साथ ही विश्व पटल पर नई शक्ति बनकर उभरा हैं। 11 वर्षो की मोदी सरकार का कार्यकाल देश के लिये अभुतपूर्व विकास, लोक कल्याणकारी शासन व जनहित की नीतियों का काल खण्ड साबित हुआ हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के निर्णयों ने देश की दशा व दिशा में बेहद सकारात्मक सुधार किये हैं। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह ने हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा लागु किये गये जीएसटी सुधारों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन

कोटपूतली। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कस्बे के पूतली रोड़ पर लेक हाउस स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में सोमवार को सप्तमी पर विषाल जागरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों सहित बाहर से आये कलाकारों ने माता के एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किये। मंदिर के पुजारी पं. योगेश शर्मा ने बताया कि मंदिर परिसर में प्रत्येक नवरात्र में सप्तमी को दुर्गा माता के विषाल जागरण का आयोजन किया जाता हैं। इस अवसर पर विभिन्न झाकियों का प्रदर्शन किया गया। श्री श्याम शक्ति मंडल एवं हरीश आर्ट ठ्ठाप नारनौल व टिंकू म्यूजिक ग्रुप के द्वारा भजनों की प्रस्तुतिया दी गई। साथ ही हनुमान जी, राधा कृष्ण, शंकर पार्वती, सुदामा, माता वैष्णों की सजीव झांकियों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं श्री श्याम शक्ति मंडल के कलाकारों ने माता के एक से बढ़कर एक भजन सुनायें।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्रेरणा ले और सच्चाई का साथ दें : रामहेत यादव

किशनगढ़ बास। कला मंच की और से किशनगढ़ पीजी कॉलेज खेल मैदान पर आठवें दिन रविवार रात्रि को लंका दहन की लीला का मंचन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परिषद भाजपा सदस्य पूर्व विधायक रामहेत यादव सहित अतिथियों ने रामायण जी की आरती की व कला मंच के कलाकारों ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर एवं राम परिवार की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया।

इस अवसर रामहेत यादव ने कला मंच की टीम व कलाकारों को रामलीला के मंचन को लेकर बधाई दी और कहा रामायण राम कथा हमें सांसारिक जीवन में त्याग तपस्या भक्ति की प्रेरणा देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से हम लोग प्रेरणा ले की हमेशा सच्चाई का साथ दें और भगवान श्री राम की तरह जीवन में कठिनाइयां से डरें नहीं बल्कि उनके आदर्श मार्ग पर आगे बढ़े। इस दौरान यादव ने क्षेत्र की खुशहाली और संपन्नता को लेकर भगवान राम से प्रार्थना की। मीडिया प्रभारी नवीन जैन ने बताया कि लंका दहन की लीला में हनुमान जी का राम के पास विप्र रूप रखकर जाना ,राम जी का हनुमान को पहचानना, राम और सुठ्ठीव की अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करना ,बाली का वध करना ,माता सीता की खोज में रामादल का समुद्र तट पर आना, जामवंत ,अंगद ,वानरों द्वारा हनुमान जी को बल याद दिलाना, हनुमान जी का समुद्र को पार कर अशोक वाटिका में माता सीता से भेट करना, हनुमान और विभीषण का संबाद करना तथा हनुमान रावण का संबाद होना और हनुमान जी का का लंका में आग लगाने की लीला का प्रदर्शन किया गया।

इस लीला के मंचन में बाल अंगद के रूप में 13 वर्षीय निष्कर्ष तिवारी और सीता के रूप में 15 वर्षीय हर्षित अठावाल की भूमिका को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। प्रथम बार अभिनय कर रहे सागर सिंहल की विभीषण की भूमिका को भी खूब सराहा गया।

नाम परिवर्तन

मैंने अपने पुत्र का नाम हर्षवर्धन सिंह से बदलकर हर्षवर्धन सिंह शेखावत पुत्र शेर सिंह शेखावत रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जावेगा। निवासी आर-17, सेन्ट्रल कॉलोनी, रोड नं. 9, वी.के.आई. ऐरिया, जयपुर, राजस्थान

मेरे पुत्र तनिष्क के कागजों में मेरा नाम सीमा वर्मा हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही नाम सीमा देवी है। सीमा देवी पत्नी मनोज कुमार वर्मा बॉस एक्लेव, गोनेर रोड, जगतपुरा जयपुर

मैं रेखा पत्नि श्री हेमन्त चौधरी निवासी कायस्थपाडा, बाडी धौलपुर की निवासी हूँ मेरा आधार कार्ड व पेन कार्ड में नाम रेखा है। जन्म तिथि 01.01.1984 है। लेकिन PNB Metlife Insurance में गलती से रेखा चौधरी तथा जन्मतिथि 01.01.1985 दर्ज हो गया था और मेरे को रेखा एवं रेखा चौधरी नाम से पहचाना जाता है। और भविष्य में मुझे रख जन्म तिथि 01.01.1984 के नाम से जाना जावें।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरे द्वारा बालाजी एनक्लेव ग्राम रामजीपुरावास नेवटा सांगानेर जयपुर प्लाट एस-29 खरीदा गया, उक्त प्लाट जेडीए में कीर्ति चौधरी के नाम से पंजीकृत है उक्त प्लाट को कीर्ति चौधरी से गजेन्द्र गौड ने खरीदा था उसके पश्चात उक्त प्लांट को गजेन्द्र गौड से मैने (गोपाली देवी) मेरे नाम से खरीद लिया है, उक्त प्लाट के मूल दस्तावेज पट्टा, साइड प्लान, चैन, डॉक्यूमेंटस एवं मूल रजिस्ट्री इत्यादि सभी मूल दस्तावेज विजयपथ से मुहाना मंडी के मध्य खो गए-सूचित करें-9314629216

मेरे द्वारा बालाजी एनक्लेव ग्राम रामजीपुरावास नेवटा सांगानेर जयपुर दो प्लाट 347,348 खरीदा गया, उक्त प्लाट जेडीए में कीर्ति चौधरी के नाम से पंजीकृत है उक्त दोनों प्लाटों को कीर्ति चौधरी से गजेन्द्र गौड से मैंने (मुकेश चौधरी) मेरे नाम से खरीद लिया था, खरीदने के पश्चात उक्त दोनों प्लाट के मूल दस्तावेज पट्टा, साइड प्लान, चैन, डॉक्यूमेंटस एवं मूल रजिस्ट्री इत्यादि सभी मूल दस्तावेज विजयपथ से मुहाना मंडी के मध्य खो गए-सूचित करें-9314629216

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल/ट्रिब्यूनल द्वारा जारी फार्मासिस्ट पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 70294 जारी दिनांक 19.12.2022 कहीं खो गया है। मिलने पर संपर्क करें- प्रियंका कुमारी पुत्री कुलदीप सिंह - 9166381095

मेरे भूखण्ड सं. 73 नव भारत निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना विक्रम विहार जयपुर का पंजीकृत विक्रय पत्र (विक्रेता श्रीमती विमल देवी क्रेता-दिनेश कुमार) के माध्यम हुआ कहीं गुम हो गई है मिलने पर सूचित करें-8619827822

मेरे भूखण्ड सं. एफ-1392 जेडीए की योजना गोविन्दपुरा जयपुर का जेडीए से जारी मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है सूचित करें-उमेश मो. 7611957966

प्लॉट नम्बर 29-बी, पुराना नम्बर 30 सुंदर नगर ईदगाह वन विहार के पास बास बदनपुरा लाल डूंगरी देल्ही बाय पास रोड जयपुर का असल विक्रय पत्र कहीं गिर गया है मिलने पर सूचित करें। शेखर हुसैन-9314282127

मेरे मकान नं. 14 सरस्वती एन्कलेव, वृन्दावन विहार, मुहाना रोड, ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर, जयपुर के मूल दस्तावेज कहीं गिर गए है मिलने पर सूचित करें श्रीमति शीला जैन पत्नि श्री दयानन्द जैन मो.नं. 9782731844

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-13/2025/डी-2093
विज्ञप्ति दिनांक-19.09.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में जविप्रा की आवासीय योजना ट्रांसपोर्ट नगर के भूखण्ड संख्या डी-449 के लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु श्रीमती सरिता जैन पत्नी श्री आलोक कुमार बाकलीवाल द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, रजिस्टर्ड, वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र, जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड की प्रति, वाद विवाद का शपथ पत्र की छायाप्रति के आधार पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
आवेदित भूखण्ड की लीजडीड जविप्रा द्वारा दिनांक 30.12.2014 को श्री सम्पत लाल जैन पुत्र स्व. श्री हरक चन्द जैन के पक्ष में जारी की जा चुकी है। श्री सम्पत लाल जैन की मृत्यु दिनांक 10.02.2024 को हो चुकी है। संलग्न रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 02.03.2021 को उक्त भूखण्ड अपनी पुत्री श्रीमती सरिता जैन पत्नि श्री आलोक कुमार बाकलीवाल को वसीयत किया गया है।
अपने आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, रजिस्टर्ड वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र, जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड की प्रति वाद विवाद का शपथ पत्र की छायाप्रति के आधार पर यदि किसी संस्था/व्यक्ति/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति जोन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकत है अन्यथा 7 दिवस पश्चात भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति
www.jda.rajasthan.gov.in
क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा/ जोन-4/2025/डी-6040 दिनांक 19.09.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अंशुल यादव पुत्र श्री राजेश कुमार यादव द्वारा हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना शिव शक्ति नगर-ए के भूखण्ड संख्या 107 का उपविभाजन पत्र जारी करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 248544 दिनांक 11.09.2025 प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना शिव शक्ति नगर-ए के भूखण्ड संख्या 107, क्षेत्रफल 300 वर्गगज का पट्टा श्रीमती धनपति कड़वासरा पत्नी श्री हरिराम कडवासरा के पक्ष में क्रमांक 1625 दिनांक 08.12.2012 को जारी किया गया था, जिसे उप पंजीयक जयपुर-प्रथम के यहां दिनांक 11.12. 2012 को पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती धनपति कडवासरा पत्नी श्री हरिराम कड़वासरा द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड में से 107, उत्तरी हिस्सा क्षेत्रफल 150 वर्गगज का बेचान श्री लीलाराम प्रेमचन्दानी पुत्र श्री किशन चन्द प्रेमचन्दानी के पक्ष में कर दिया गया। श्री लीलाराम प्रेमचन्दानी पुत्र श्री किशन चन्द प्रेमचन्दानी के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2025 के द्वारा उक्त भूखण्ड 107, उत्तरी हिस्सा क्षेत्रफल 150 वर्गगज का बेचान श्री अंशुल यादव पुत्र श्री राजेश कुमार यादव को कर दिया गया। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का उपविभाजन पत्र जारी करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जि. जयपुर
सोहन लाल बनाम अतुल वगैरह
वाद पत्र सं. 17/2025
वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
बनाम-1. अतुल पुत्र गोकुलचन्द, 2. उषादेवी पुत्री श्रीनारायण, 3. पुष्पादेवी पुत्री श्रीनारायण, 4. बाबूलाल पुत्र श्रीनारायण, 5. मुकेश पुत्र गोकुलचन्द, 6. मंजूदेवी पुत्री श्रीनारायण, 7. राजदुलारी पत्नि गोकुलचन्द, 8. रामप्यारी पत्नि श्रीनारायण, 9. विजयकुमार पुत्र श्रीनारायण, 10 विनय पुत्र गोकुलचन्द समस्त जाति महाजन निवासी सांभरलेक जिला जयपुर राज. 11. तहसीलदार तहसील फुलेरा, 12. सब रजिस्ट्रार तह. फुलेरा मु. सांभरलेक
उपरोक्त आपके विरूद्ध उपरोक्त के वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 27.10.2025 का दिन मे 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 25 माह 09 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
आज्ञा से-रीडर
न्यायाधीश उपखंण्ड अधिकारी
सांभर लेक, जि. जयपुर

(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 443/2025
चूंकि श्री योगेश शर्मा पुत्र श्री आनन्द बिहारी शर्मा निवासी 2321-ए, दीनानाथ जी का रास्ता जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास बाबा श्री नीब करौरी (जयपुर) सेवार्थ ट्रस्ट फ्लैट न 018, नारायण सरोवर सुखिया, सांगानेर जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि ये इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा । आज दिनांक 29/9/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 5/12/25
मुहर
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय प्रधानाचार्य-शहीद राजीव सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
लुहाकना खुर्द, ब्लॉक विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड
क्रमांक-श.रा.सि.शे.रा.उ.मा.वि./लुहाकना खुर्द/विराट 2025/130 दिनांक-20.09.2025
नीलामी सूचना स्थानीय विद्यालय के अनुपयोगी नाकारा/अक्रियाशील आईसीटी लैब उपकरणो की नीलामी जिसका पुस्तक मूल्य 279350/- है। दिनांक 06.10.2025 को प्रातः 11 बजे विद्यालय प्रांगण में खुली बोली द्वारा की जायेगी। इच्छुक फर्म/व्यक्ति नियमानुसार 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाकर उक्त प्रक्रिया में भाग ले सकता है। शेष शर्ते किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।
प्रधानाचार्य-शहीद राजीव सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लुहाकना खुर्द विराटनगर, जिला-कोटपूतली-बहरोड

नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय भवन, हवामहल के पास)
क्रमांक: एच13()/उपा. लैण्ड/ **सार्वजनिक सूचना** दिनांक: 23.09.2025
नगिप्र/2025/642
मूल भूखण्ड सं. ए-172, फतेहटीबा, आदर्श नगर, जयपुर का आवंटन श्री नन्नू खां पुत्र श्री वजीर के नाम 134 व.ग. का आवंटन जारी किया गया। श्री फकीर मोहम्मद पुत्र श्री नन्नू खां द्वारा आवेदन पेश कर अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम जयपुर, हैरिटेज में आवेदन पेश कर फ्री-होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पेश किया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड शाखा) में प्रस्तुत करें अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार फ्री-होल्ड पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त (लैण्ड) नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लॉट नं. 132, श्री बालाजी विहार मुण्डोता, कालवाड़ रोड, जयपुर राजस्थान का मूल पट्टा, रसीद, साईट प्लान जो कि झालाना डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर द्वारा श्रीमती अन्नू कँवर पत्नी श्री पाबूदान सिंह के नाम जारी किया गया था। उक्त दस्तावेज कहीं खो गये है चूंकि सोसायटी मे डूप्लीकेट पट्टा, रसीद, साईट प्लान जारी करने बाबत आपत्ति हो तो 7 दिवस मे सोसायटी मे आपत्ति दर्ज करवादे बाद मियाद डूप्लीकेट पट्टा जारी करने के लिये समिति स्वतंत्र होगी। कृपया सूचित रहे।
झालाना डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड
जयपुर रजि.नं. 25/एल.सी. मो.नं. 8078600067

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर प्रथम
प्रभाती देवी बनाम श्याम सुन्दर व अन्य दावा बाबत.....
मुकदमा नं. CMC 65/2023
बनाम
मुसम्मी गणेश नारायण वल्द श्री नामालूम कौम हिन्दू साकिन C/o गुलाब जी कुमावत परगना प्लाट नं. 68 दक्षिण मुखी बालाजी के पास पानी की टंकी वाली गली हाथौंज, जयपुर
चूंकि.... ने इस अदालत में तारीख...माह... सन्20. को 1. प्रभाती देवी बनाम 2. श्याम सुन्दर व अन्य दायर की जो कि बाद में फोत हो गया और चूंकि....मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी स्व. मीना कुमारी मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. गणेश नारायण बनाये जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1... आपको तारीख 28 माह 10 सन् 2025 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 09 सन 2025 को जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-रीडर ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-06 जयपुर महानगर प्रथम

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिक्री के
(ओ.21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश नं. प्रथम जयपुर मुकाम महानगर द्वितीय जयपुर
श्रीमति ललिता डागा बनाम मोहित सोमानी व राजीव जैन
डिग्री बाबत
मुकदमा नंब 081/2025 CIS No. 152/25
बनाम-मुसम्मी राजीव जैन वल्द श्री कमल चन्द कौम जैन साकिन प्लाट नं. 197-ए, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म तहसील दुर्गापुरा जयपुर साकिन ऑफिस पता-म.नं. 2029, पीतलियों का चौक तहसील जौहरी बाजार, जयपुर
चूंकि डिग्रीदार ने डिग्री अदालत अपर जिला न्यायाधीश नं. प्रथम जयपुर प्रथम मवर्खे 27.10.2010 ब. मुकदमें नम्बर 93 सन् 2006 की इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत में...वार मंगलवार तारीख 28 माह 10 सन् 2025 को हाजिर होकर अगर कोई उजर वास्ते आपके खिलाफ इजराय किये जाने डिग्री रखते हो तो पेश करों।
आज तारीख 23.09.2025 ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के जारी किया गया।
मोहर अदालत
शरिश्तेदार ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एकोहरेशन न्यायाधीश क्रम-01 जयपुर महानगर द्वितीय

कार्यालय ग्राम पंचायत सूरवाल एवं करमोदा, पंचायत समिति सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर
क्रमांक:- दिनांक .....
ई-निविदा सूचना संख्या -05/06/2025-26
पंचायत समिति, सवाई माधोपुर के अधीन ग्राम पंचायत सूरवाल एवं करमोदा में विभिन्न योजना में स्वीकृत कार्यो हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan. gov. in पर देखें एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
करमोदा NIB No.ZSM2526A0596 UBN No. ZSM2526WSOB00666
सूरवाल NIB No.ZSM2526A0595 UBN No. ZSM2526WSOB00665
प्रशासक ग्राम पंचायत सूरवाल एवं करमोदा
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सूरवाल एवं करमोदा

कार्यालय नगर परिषद, किशनगढ़ जिला -अजमेर (राज)
क्रमांक / नपकि / दी.अ.यो-रा.श.आ.मि. / 2025 / 210 दिनांकः- 24.09.2025
ई-निविदा सूचना संख्या -02/2025-2026
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अन्तर्गत आश्रय स्थलो के सम्पूर्ण संचालन एवं रख रखाव हेतु
नगर परिषद किशनगढ की ओर से नगर परिषद किशनगढ में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं / एनजीओ से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से आश्रय स्थलों के सम्पूर्ण संचालन के कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 25.09.2025 को समय 9:00 ए.एम. से तथा प्राप्त करने की दिनांक 06.10.2025 को 06:00 पी.एम. तक एवं निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ व https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।
UBN NO.-DLB2526A6327
आयुक्त
नगर परिषद, किशनगढ
राज.संवाद / सी / 25 / 11000

कार्यालय नगर परिषद, दौसा (राजस्थान)
फोन नं. 01427-220054 E-mail: dausa.jaipur@yahoo.com
क्रमांक-न.प.दो./नियमन शाखा/2025-2026/3797 दिनांक-29.09.2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
राजस्थान नगरीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र में भू-उपयोग (संशोधित) नियम-2021 के प्रावधानो के आधार पर निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो